तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12-3-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांडल को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा जावे। वास्ते पत्रावली मे देखने मौका रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 9-4-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-4-20	~~उक्त पत्र पर उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.5.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
7-5-20	~~उक्त पत्र पर उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.5.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
28-5-20	~~उक्त पत्र पर उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 13.8.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
13-8-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, पूर्व मे सीमाज्ञान नही कराया गया, वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 13:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या – 197/19 प्रा.पत्र

ी शंकरलाल S/o श्री लक्ष्मण खटीक निवासी बलाईखेड़ा तहसील- माण्डल (वगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

निजामुदीन S/o श्री इमामुदीन मुसलमान निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल [वगैरा]
(पूर्ण वि. प्रा. पत्र सलंग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 13.08.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम बलाईखेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3337/1 कुल किता 01 रकबा 01 – बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ोने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते मि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.11.19 को पंजीबद्व किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से ाढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलाईखेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की जी नं: 3337/7 कुल किता 01 रकबा 01 – बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा ें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 13:... IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner